श्री कमालुद्दीन अहमद : मैंने अल्फांसो के साथ कहा और दूसरे आम। उसमें बहुत-सी वैरायटीज होंगी दसहरी भी होगा, लंगड़ा भी होगा, चौसा भी होगा, रतौल भी होगा। सारी वैरायटीज होंगी ।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आंध्र प्रदेश) : हैदराबाद का बेनिशान।

श्री कमालुद्दीन अहमद : हैदराबाद का बेनिशान भी होगा, हिमायत भी होगा, रसाल भी होगा–सारे होंगे ।

MR. CHAIRMAN: I think, we can now more on to the next Question Question No. 263.

Financial assistance for pre-loom and post-loom processing facilities

*263. SHRI DIGVIJAY SINGH:† SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Central Government is providing any financial assistance to State Handloom and Power Loom Development Corporations and its Co-operative societies for setting up pre-loom, and post-loom processing facilities;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what criteria is being followed for extending such assistance?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Digvijay Singh.

Statement

Financial Assistance for pre-loom and post-loom processing facilities

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) Government of India has been extending financial assistance to the State Level Corporation or Apex Cooperatives or other such bodies supported by State Governments on 100 per cent loan basis. The schemes are approved on submission of detailed project report indicating, inter alia, the need for the Process/Dye House and value addition that will be generated by improving the processing|dyeing facilities. The project has to be implemented by State Level Corporatios or Apex Cooperatives or other such bodies supported by State Governments. However, this scheme has been transferred to State Sector from the year 1993-94.

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति जी, पहले की तरह इस बार भी सरकार ने सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दिया है। मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल था कि पावरलूम और हैंडलूम को आप पैसा कहां से और कित ना देते हैं ? आपने जवाब दिया है, सारे स्टेट लेबल कार्पोरेशंस के बारे में। मुझे इस दिव्य ज्ञान की जरूरत नहीं थी। मैं तो यह चाहता था कि, जिस सवाल का जवाब मैंने आपसे पूछा है उसी का जवाब आप देते लेकिन बजाय स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब देने के आपने उसको जनरलाइज कर दिया और पूरा सवाल उसमें छिपा दिया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जो सवाल कर रहा हूं, यह बड़ा अहम सवाल है। यह उन लोगों का मसला है जोकि इस देश में भुखमरी की कगार पर खड़े हैं और ये वे लोग हैं जिन्होंने अकलियतों में जंगे आजादी की लड़ाई में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। महोदय, आज उनकी स्थिति इस हाल में पहुंच गई है कि कम-से-कम पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में तो मैं जानता हूं कि ये लोग करीब-करीब भुखमरी की कगार पर खड़े हैं वहां रोज प्रदर्शन, रोज धरना और

रोज चक्का जाम का माहौल बना हुआ है . . . (**व्यवधान**) . . . आंध्रप्रदेश में भी है, चारों तरफ है, लेकिन सरकार की तरफ से इसका कोई सही उत्तर नहीं दिया गया है । सभापति महोदय, 1974 में शिवरमन् कमेटी बनायी गयी थी जिसकी कि रिपोर्ट भी आ चुकी है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि हैंडलूम डवलपमेंट कार्पोरेशन को कोआपरेटिव सेक्टर से अलग हटकर पैसा देना चाहिए । मैंने आपसे पूछा था कि हैंडलूम कार्पोरेशन के साथ-साथ क्या पावरलूम कार्पोरेशन को भी आप पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ? मुझको जो जानकारी है, उसके मुताबिक पावरलूम कार्पोरेशन को तो पैसा मिल रहा है, हैंडलूम कार्पोरेशन को भी जो पैसा मिल रहा था वह बंद हो गया है । आपके जवाब में "हां" के रूप में सारा जवाब दिया गया है इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है जिससे आप बता सकते हो कि शिवरमन् कमेटी के बाद अब तक भारत सरकार की तरफ से इन दोनों कार्पोरेशंस को कितना पैसा दिया गया है ?

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति जी, यह बुनकरों से संबंधित सवाल है और मेंबर ने यह सवाल किया है कि हैंडलूम वीवर्स के साथ-साथ पावरलूम को भी कुछ पैसा दे रहे हैं ? इसलिए मेंबर को रिटन में जवाब दिया गया है कि पावरलूम को तो गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है अलबत्ता हैंडलूम वीवर्स की हालत बहुत खराब है देश में जैसा कि मेंबर ने खुद कहा है। सभापति जी, मैंने टैक्सटाइल मिनिस्टर का चार्ज लेने के बाद पूरी स्टेटिस्टिक्स ली है कि देश के अंदर बुनकरों की क्या परिस्थिति है और उन सब की एक कांफरेंस बुलायी है और उसके अंदर यह निर्णय लिया कि विलेज लेवल पर किस तरह से उनको यार्न दिया जाए और किस तरह से उनको कलर्स दिए जाएं और किस तरह से हम उनकी सहायता कर के उन्हें बिलो पावर्टी लाइन से ऊपर से ले आएं ? मगर अध्यक्ष जी, मुझे आश्चर्य के साथ यह कहना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा जाता है, कोई स्टेट उसका अमल नहीं कर रही है जिससे कि बुनकरों की हालत ऊपर आ सके । यह बड़े अफसोस के साथ मुझे मेंशन करना पड़ रहा है कि जितना भी पैसा जाता है, उस पैसे का सही प्रोजेक्ट आज तक नहीं आया है । अध्यक्ष जी, जैसाकि मैंने रिप्लाय में कहा है कि हंड्रेड परसेंट लोंस के लिए हमने स्कीम बनायी है, प्रि-लूम्स के लिए और पोस्ट-लूम्स के लिए हमने हंड्रेड परसेंट लोन की स्कीम दी है । हम ने वर्ष 76-77 में यह स्कीम शुरू की है और उसको सेवेन्थ फाइव ईयर प्लेन में थोड़ा, और उसके बाद 1990 से अब तक कोई प्रोजेक्ट, कोई स्कीम किसी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आ रही है । इसलिए मैं माननीय मैम्बर को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपसे ज्यादा इसके ऊपर सोच रहा हूं । अभी हम हैन्डलूम वीवर्स की जो पावरटि लाइन है, वह बिलो पावरटि लाइन 33 परसेंट चल रहा है, उसको मैं ऊपर लाने की, गवर्नमेंट ऊपर लाने की कोशिश कर रही है, अध्यक्ष जी । मैं माननीय मैम्बर को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय वर्ष 1985 में एक टैक्सटाइल पालिसी बनी थी इस देश के अंदर और उस पॉलिसी के तहत यह तय हुआ था कि पावरलूम डवलपमेंट कारपोरेशन भी बनाया जाए, लेकिन पिछले लगातार जो बजट है और इस बार का जो बजट पेश हुआ है उन बजट में कहीं भी इस बात का प्रावधान नहीं किया गया है कि पावरलूम डवलपमेंट कारपोरेशन के लिए भी कुछ पैसे का इंतजाम सरकार करेगी । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बजट के बाहर या उसी बजट के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था आपको जानकारी में है, जिससे इस पावरलूम डवलपमेंट कारपोरेशन को पैसा देने का कोई इंतजाम हो रहा है ? और, अगर नहीं है तो आपका मंत्रालय इसके बारे में कौनसा इंतजाम करने जा रहा है ।

श्री जी. वेंकटस्वामी : सभापति महोदय, यह पावरलूम का प्रोब्लम जबसे शुरू हुआ है, हैंडलूम का खातमा करने के रास्ते पर गया । अब जो है, मिल जो चल रही है, उसके खातमें की तरफ आगे बढ़ रहा है । गवर्नमेंट आफ इंडिया अब

यह खातमा करने को पावरलूम की तरफ जाए तो यह मुनासिब नहीं है । तो हम यह कोशिश कर रहे हैं, सभापति जी, कि पावरलूम डवलपमेंट कारपोरेशन की मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट मंथ, उनके जो भी उद्देश्य हैं, उसको लेंगे और उसके बाद अगर उन लोगों का कुछ पावरलूम के लिए भी मदद चाहते हैं तो हम सोचेंगे कि हैंडलूम का लोस न हो, मिल का लोस न हो और उसकी तरक्की के लिए क्या मदद दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीया : माननीय सभापति जी, यह जो राज्य हथकरघा और विद्युत करघा विकास का है, उसकी केंद्र सरकार की ओर से बराबर उपेक्षा की जाती है और पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश के सैंकड़ों जो बुनकर थे या तो उन्होंने खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली भूख के कारण या फिर उन्होंने इस रोजगार को छोड़ दिया । अभी मंत्री जी ने उत्तर यह दिया है कि वर्ष 1993–94 को इस योजना को राज्यक्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया जाएगा । मान्यवर, मेरी आपत्ति एक तो यह है कि मेरा प्रश्न था कि क्या वित्तीय सहायता देते हैं, माननीय मंत्री जी ने उत्तर यह दिया कि हम कर्जा देते हैं ।

My question was about financial assistance and the Minister replied about the loan. Sir, the loan is refundable with interest. So he has not replied to my question. Anyway, I would like to know why this sector has been transferred to the State Government.

श्री जी० वेंकटस्वामी : सभापति जी, यह एक सौ के ऊपर जो आइटम हैं, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने, प्लानिंग कमीशन ने स्टेट के लिए ट्रांसफर किए हैं और उसमें यह भी आया है । तो यह जो है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमारे पास स्कीम, प्रपोजल, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं भेजे, अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजते तो यह स्कीम पूरी तरह इम्पलीमेंट हो जाती । तो इम्पलीमेंट होने की शक्ल में नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको हाथ में ले और डवलपमेंट हो ।

SHRI SUSHILKUMAR SABHAJIRAO SHINDE: Sir, the next question is very important and the whole country wants to know the Government's policy about it.

SHRI PRA GADA KOTAIAH: How many State-level handloom and powerloom combined corporations are there in the country? I would also like to know whether it is the policy of the Government to encourage and assist the powerloom corporations for setting up pre-loom and post-loom processing units.

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

Written Answers to Questions

Demand for conclusion of Uruguay Round of Talks by GATT Member countries

*264. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of GATT member countries, particularly the Latin American countries have underscored the need for going ahead with the draft final act (DFA) to conclude the Uruguay Round of Talks on the basis of the Dunkel draft; and

(b) if so, what is Government's reaction to this demand?